Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com

ईमेल/फैक्स

प्रेषक,

शिक्षा निदेशक(बेसिक)
उ0प्र0,निशातगंज,लखनऊ।

सेवा में,

समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक बी/8065–8288/2011-12, दिनांक: 22 मार्च, 2012

विषयः–बेसिक शिक्षा परिषदयीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 5 तक के अध्ययनरत सामान्य वर्ग के बालकों को निःशुल्क वितरण हेतु सत्र 2011–12 में क्रय की गयी हिन्दी व उर्दू माध्यम की पाठ्य पुस्तकों हेतु वित्तीय वर्ष 2011–12 में आवंटित धनराशि से भुगतान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

इस कार्यालय के पत्रांक बी/2759–3085/2011–12 दिनांक 03–08–2011 द्वारा धनराशि रू0 11,02,20,000/–(रूपये ग्यारह करोड़ दो लाख बीस हजार मात्र) तथा इस कार्यालय के पत्रांक बी/6320–6741/2011–12 दिनांक 24–01–2012 द्वारा धनराशि रू0 7,68,21,179–00(रूपये सात करोड़ अड़सठ लाख इक्कीस हजार एक सौ उन्यासी मात्र) का आवंटन आप की मांग के अनुरूप आपके जनपद को किया गया था।

उक्त आवंटित धनराशि के भुगतान के परिप्रेक्ष्य में इस कार्यालय के पत्रांक–बी/4323–39/2011–12 दिनांक–21.9.2011 द्वारा आपको निर्देशित किया गया था कि राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा कक्षा–1 से 8 तक की सभी वर्ग की बालिकाओं एवं अनुसूचित जाति/जनजाति के बालकों हेतु क्रय की गयी पाठ्यपुस्तकों के अतिरिक्त सामान्य वर्ग के बालकों हेतु कक्षा–1 से 5 तक के लिए क्रय की गयी पाठ्यपुस्तकों हेतु जो धनराशि आवंटित की गयी है, के सापेक्ष मुद्रकों/प्रकाशकों द्वारा की गयी आपूर्ति के मूल्य से 7.5 प्रतिशत छूट को घटाते हुए शेष धनराशि के 50 प्रतिशत धनराशि का भुगतान एक सप्ताह के अन्दर सुनिश्चित करें। किन्तु इसी मध्य मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद, खण्डपीठ लखनऊ में योजित वाद सं0–9877(एमबी)/2011 में मा0 न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश के अनुपालन में इस कार्यालय के पत्रांक–बी/4367–478/2011–12 दिनांक–4.10.11 द्वारा समस्त भुगतानों पर अग्रिम आदेशों तक के लिए रोक लगा दिया गया था। पुनः मा0 उच्च न्यायालय द्वारा उक्त वाद में ही अपने अंतरिम आदेश दिनांक–22.12.2011 द्वारा मे0 पीताम्बरा बुक्स प्रा0लि0, झांसी को छोड़कर शेष समस्त मुद्रकों/प्रकाशकों का भुगतान करने का निर्देश मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित किए जाने वाले अग्रिम आदेशों के अधीन किया गया था। जिसके अनुपालन में इस कार्यालय के पत्रांक–बी/5956–6118/2011–12 दिनांक–23.12.2011 द्वारा मा0 न्यायालय के

Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com

उपरोक्त अंतरिम आदेश से अवगत कराते हुए आपको मैं0 पीताम्बरा बुक्स प्रा0लि0, झांसी को छोड़कर अन्य मुद्रकों के समस्त भुगतान करने के निर्देश दिए गए थे।

आपको सामान्य वर्ग के छात्र/छात्राओं में निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण के भुगतान की समस्त धनराशि दो किश्तों में आवंटित करते हुए क्रमशः माह अगस्त एवं जनवरी में ईमेल के माध्यम से आपके मेल आईडी पर प्रेषित करने के साथ ही डाक के माध्यम से भी आपको उपलब्ध कराया गया है। किन्तु कोषवाणी के वेबसाइट से जनपदों द्वारा आवंटन एवं व्यय का विवरण निकालकर समीक्षा किए जाने पर यह प्रकाश में आया कि अभी भी जनपद **मेरठ, बुलन्दशहर, गौतमबुद्धनगर आगरा, मैनपुरी, हाथरस, फिरोजाबाद, बदायूँ, पीलीभीत,शाहजहांपुर, इलाहाबाद, फतेहपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, चन्दौली, जौनपुर, मिर्जापुर, भदोही, सोनभद्र, लखनऊ, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, हरदोई, छत्रपति शाहूजी महराज नगर, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, संतकबीरनगर, बलिया, झांसी, जालौन, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा, फैजाबाद, सुलतानपुर, अम्बेडकरनगर, गोण्डा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, रामपुर, बिजनौर, जे0पी0नगर, कानपुर देहात, फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज, मुजफ्फरनगर** द्वारा कोषागार में बजट ही नहीं फीड कराया गया है और न ही मैं0 पीताम्बरा बुक्स प्रा0लि0, झांसी को छोड़कर अन्य समस्त मुद्रकों का भुगतान ही किया गया। अतएव तत्काल कोषागार में बजट फीड कराने की कार्यवाही आपके स्तर से वांछित है।

मैं0 पीताम्बरा बुक्स प्रा0लि0, झांसी को भुगतान किए जाने के संबंध में या0सं0–9877(एमबी)/2011 में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक–22.2.2012 को जो अंतरिम आदेश पारित किए गए हैं, उसका कार्यकारी अंश निम्नवत् है:–

"However,since the material has been supplied, it is provided that the payment shall be made to the respondent no. 4 by the State Government, that too, should be subject to furnishing of adequate Bank Guarantee from the Nationalised Bank so that in case after hearing this case, this court arrives to some adverse conclusion, then appropriate order may be passed. Release of amount shall be subject to further order passed by this Court in the instant writ petition."

इस कार्यालय के पत्रांक–बी/7895/2011–12 दिनांक–9.3.2012 द्वारा शासन से adequate Bank guarantee के संबंध में मांगा गया निर्देश अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। जबकि मा0 न्यायालय के आदेश के अनुपालन में मैं0 पीताम्बरा बुक्स प्रा0लि0, झांसी का भुगतान किया जाना है। चूँकि वित्तीय वर्ष समाप्ति की ओर है। अतएव आपको निर्देशित किया जाता है कि मैं0 पीताम्बरा बुक्स प्रा0लि0, झांसी द्वारा आपूर्तित पाठ्यपुस्तकों के बिल की धनराशि का Bank draft बनाकर सुरक्षित रखा जाय। शासन से जैसे ही adequate Bank guarantee के संबंध में निर्देश प्राप्त होते हैं, आपको सूचित किया जायेगा। तदोपरान्त ही संबंधित फर्म को Bank draft हस्तगत कराया जाय। कक्षा–1 से 5 तक के पाठ्यपुस्तकों के आपूर्तिकर्ता अन्य

Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com

फर्मों को इस कार्यालय द्वारा पूर्व में दिए गए निर्देशों के अनुक्रम में 31.3.2012 तक समस्त भुगतान करना सुनिश्चित करें। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता क्षम्य नहीं होगी। यदि आपकी उदासीनता के कारण बजट कालातीत होता है, तो इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा एवं आपका उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए आपके प्रति कठोर कार्यवाही करने हेतु शासन को प्रस्ताव प्रेषित किया जायेगा।

भवदीय

(दिनेश चन्द्र कनौजिया)
शिक्षा निदेशक(बेसिक)
उ0प्र0 लखनऊ।

पृष्ठांकन सं0–8065-8288 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक), उत्तर प्रदेश।
3. वित्त एवं लेखाधिकारी, बेसिक शिक्षा, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।

(दिनेश चन्द्र कनौजिया)
शिक्षा निदेशक(बेसिक)
उ0प्र0 लखनऊ।